न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 05/2019
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2019/00295

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार रोहट		1. स्व. पूनाराम पुत्र वागाराम, जाति हरिजन (मेहतर) निवासी गढ़वाड़ा के कायम मुकाम :– 1/1. रामीदेवी उर्फ रामूड़ी पत्नी 'पूनाराम 1/2. मुकेश पुत्र पूनाराम 1/3. राकेश कुमार पुत्र पूनाराम 1/4. बेबी पुत्री पूनाराम 1/5. गुडीया पुत्री पूनाराम 1/6. सुशीला पुत्री पूनाराम 1/7 सुमित्रा पुत्री पूनाराम

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल वर्मा

–: निर्णय :–

दिनांक :– 13.03.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार रोहट द्वारा कृषि भूमि का आवंटन दिनांक 23.10.1977 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नियमन रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने के लिए जो प्रमुख आधार लिये गये है जो यह है कि तहसील रोहट के पटवार मण्डल खुण्डावास के ग्राम सुकरलाई के खसरा संख्या 88 रकबा 6.01 बीघा भूमि अप्रार्थी पूना पुत्र वागा जाति हरिजन निवासी गढ़वाड़ा के नाम से गैर खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.10.1977 को आवंटित की गई थी। आवंटी श्री पूना का वक्त आवंटन दिनांक 23.10.1977 से आज दिनांक तक मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा जिससे अप्रार्थी के पक्ष में किया गया भूमि आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी का व्यवसाय कृषि या कृषि सहकार्य नहीं है। आवंटी मूल रूप से सुकरलाई एवं उसकी ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का निवासी नहीं होकर अन्य ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा का निवासी है, जिससे भी अप्रार्थी के पक्ष में किया गया

जिला कलक्टर, पाली

आवंटन काबिले खारिज है। अतः अप्रार्थी को किया गया कृषि भूमि का आवंटन दिनांक 23.10.1977 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि कि संवत् 2038 एवं संवत् 2039 में उक्त भूमि में तिल, संवत् 2041 में बाजरी ग्वार, संवत् 2051 में चरी जवार, संवत् 2054 में बाजरी एवं संवत् 2055 में ज्वार बोई गई है। आवंटन के 03 वर्षों के बाद स्वतः खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत हो जाते है तथा आवंटन के 42 वर्षों के बाद आवंटन निरस्त किये जाने का इस आधार पर कोई औचित्य नहीं है साथ ही आवंटी को आवंटित भूमि के आगे सड़क है तथा उसके पीछे प्रभावशाली व्यक्तियों की खातेदारी भूमि है तथा वे उक्त आवंटन को 42 वर्षों के बाद निरस्त करवाकर वे प्रभावशाली लोग इस भूमि पर कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के आवेदन के मुख्य आधार यह है कि जैर आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं होना, अप्रार्थी किसी अन्य गांव का निवासी होना तथा आवंटी का व्यवसाय कृषि नहीं होना बताया गया है। उपरोक्त तीनों आधारों पर ही यह आवंटन निरस्त का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है मात्र एक पर्चा मौका दिनांक 27.08.2019 ही उपलब्ध है जिसमें प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं है तथा केवल पर्चा मौके कब्जे का पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं माना जा सकता। प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रार्थी तहसीलदार द्वारा ही पेश की गई खसरा गिरदावरी संवत् 2020 से आगे की है उन भूमियों की खसरा गिरदावरियों से यह स्पष्ट होता है कि संवत् 2038 एवं संवत् 2039 में उक्त भूमि में तिल, संवत् 2041 में बाजरी ग्वार, संवत् 2051 में चरी जवार, संवत् 2054 में बाजरी एवं संवत् 2055 में ज्वार बोई गई है। सारतः यह विवादित आवंटन वर्ष 1977 में किया गया है एवं आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन वर्ष 2019 में मतलब 42 वर्षों के बाद किया गया है। प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं है कि प्रार्थी आवंटी का व्यवसाय कृषि नहीं हो तथा नियमों में भी ऐसी कोई विधि नहीं है कि आवंटन उसी गांव के निवासी को किया जाये। इस प्रकरण में आवंटी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा आवंटन के 42 वर्षों के बाद आवंटन निरस्त किये जाने का इस आधार पर कोई औचित्य नहीं है कि पर्चे मौके से ही जैर आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है जबकि प्रार्थी तहसीलदार स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई खसरा गिरदावरी में जैर आराजी पर अप्रार्थी द्वारा काश्त किये जाने के प्रमाण उपलब्ध है। आवंटन होने के इतने वर्षों बाद यदि अप्रार्थी का कब्जा नहीं था तो बाजरी, जवार एवं तिल इत्यादि की फसल स्वतः पैदा हो रही हो यह कदापि नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में हुए आवंटन के अनुसार विभिन्न न्याय निर्णयों से यह प्रतिपादित है कि आवंटन के 03 वर्षों के बाद स्वतः खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत हो जाते है व राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन के 03 वर्ष बाद यदि आवंटी द्वारा उक्त अवधि में आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की हो तो भूमिधारी तहसीलदार का दायित्व होता है कि वह आवंटन निरस्त करवाये जाने का आवेदन प्रस्तुत करे। उक्त आवंटन निरस्त करवाये जाने का आवेदन 42 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जबकि भूमि से संबंधित खसरा गिरदावरियों से जो कि स्वयं प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई है से प्रमाणित है कि भूमि पर काश्त हो रही है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी का यह कहना कि आवंटी का कब्जा नहीं हो तथा अन्य जो तीन आधार लिये गये है वे निहायत सारहीन है। आवंटन नियम का मौलिक उद्देश्य यह है कि समाज के कमजोर, भूमिहीन तबके के लोगो को आवंटन किया जाना होता है। इस प्रकरण में आवंटन के शीर्षक से ही यह स्पष्ट होता है कि आवंटी अनुसूचित जाति के अत्यन्त कमजोर वर्ग का है तथा दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि आवंटी को आवंटित भूमि के आगे सड़क है तथा उसके पीछे प्रभावशाली व्यक्तियों की खातेदारी भूमि है तथा वे उक्त आवंटन को 42 वर्षों के बाद निरस्त करवाकर वे प्रभावशाली लोग इस भूमि पर कब्जा करना चाहते है। न्यायालय विपक्षी अधिवक्ता के इस बहस से पूर्वाग्रह नहीं रखता परन्तु यह स्पष्ट है कि आवेदक को दिये गये आवेदन के संदर्भ में जो भी तीन आधार लिये गये वे प्रमाणित एवं विधिक नहीं है तथा आवेदन के 42 वर्षों के बाद आवंटन निरस्त किये जाने के कोई तार्किक तथा विधि सम्मत आधार नहीं है क्योंकि आवंटन निरस्त किये जाने के लिए

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

मुख्यतया आवंटन आवेदन का कपट, **fraud, misrepresentation** एवं गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन किया जाना तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर आवंटन निरस्त किये जाने का आधार हो सकता है। प्रकरण में ऐसा कोई पुष्टि कारक साक्ष्य नहीं है जिससे 42 वर्षों पुराने किये गये आवंटन को सारहीन आधारों पर निरस्त किया जा सके। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम तहसीलदार का यह प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन होने से खारिज करते एवं अप्रार्थी आवंटी को किये गये आवंटन को बहाल रखते है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली